केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 22.05.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/112
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00098
CICOM/R/2019/00338

अपीलकर्ता : श्री राज सिंह, पुत्र - श्री चन्द्र भान,
WZ-125, शादीपुर, मंदिर वाली गली,
नई दिल्ली - 110008.

निर्णय की तारीख : 22.05.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.04.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	26.04.2019, 29.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर, श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	154/13.05.2019 (12295/11.05.2019)
प्रथम अपील की सुनवाई की तारीख	21.05.2019

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.04.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपीलों के निपटान हेतु निर्धारित समय सीमा एवं आयोग को प्रेषित चार पत्रों/अपीलों की स्थिति की सूचना मांगी मांगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर एवं श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है । दिनांक 21.05.2019 को 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में प्रथम अपील की सुनवाई निर्धारित की गई, सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता एवं दोनों केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (श्री आर. पी. ग्रोवर एवं श्री कृष्ण अवतार तलवार) उपस्थित रहे ।

2. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना के संदर्भ में जानना चाहा कि द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है एवं उनके डाक/अपील से संबंधित किन किन विभागों/अधिकारियों से पत्राचार किया गया है । संबंधित जन सूचना अधिकारियों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा द्वितीय अपीलों के निस्तारण से संबंधित प्रक्रिया एवं डाक/अपीलों/आवेदनों से संबंधित किए जाने वाले पत्राचार के बारे में अपीलकर्ता को अवगत करवाया गया, जिससे अपीलकर्ता संतुष्ट हो गए । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि अपीलकर्ता के दिनांक 11.04.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना श्री आर. पी. ग्रोवर एवं श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.04.2019 एवं 29.04.2019 को पहले ही प्रेषित की जा चुकी थी जो कि बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
23 MAY 2019
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

O/C
23/05/2019
23/5/19